तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/4/25	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा शुभम इन्फ्राटेक बनाम सरकार प्रकरण संख्या—93 / 2024	

आवेदक शुभम इन्फ्राटेक पंजीकृत कार्यालय चौधरी होटल परिसर एरोड्रम सर्किल कोटा जरिये भागीदार दीपक राजवंशी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। आवेदक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल चाहता है। विक्रय पत्र तथा तहसील द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अवलोकन किया गया। वाद में एकमात्र निर्धारित किए जाने वाला बिन्दु यह है कि क्या आवेदक राजस्व रिकॉर्ड में अमल की पात्रता रखता है तथा प्रश्नगत भूमि आवेदक के खाते दर्ज की जानी चाहिए। उक्त तथ्य को प्रमाणित करने का भार भी प्रार्थी पर है। प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के साथ ही कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी वाके ग्राम सोगरिया उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। उक्त विक्रय के पेटे समस्त निर्धारित राशि का भुगतान भी उसके द्वारा किया जा चुका है। तथा प्रश्नगत आजारी का कब्जा भी उसके द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। विक्रय पत्र में स्पष्टतया क्रय किए गए भू–भाग का हिस्से में भी उल्लेख किया गया है। प्रार्थी के अनुसार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा केवल इस आधार पर इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा रहा है कि ऑनलाइन साफ्टवेयर में तरमीम का ऑप्शन नहीं आने के कारण तरमीम नहीं की जा सकती तथा इसी कारण इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का आगे कथन है कि यदि सरकार के साफ्टवेयर में कोई कमी है, तो उसके लिए प्रार्थी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता।

उपस्थित अभिभाषक द्वारा आगे वर्णित किया गया कि तरमीम का ऑप्शन पटवारी की आईडी पर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन एलआरसी की आईडी पर उपलब्ध है, अतः यदि न्यायालय आदेश दे तो टीडीआर व एलआरसी की आईडी से तरमीम की जा सकती है तथा इन्तकाल भी दर्ज किया जा सकता है।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अध्ययन किया गया। तहसील द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में नामान्तरकण कम्प्यूटर द्वारा ऑनलाईन दर्ज किए जा रहे हैं, परन्तु पटवारी स्तर पर पटवारी भी एसएसओ. आईडी के द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय तरमीम का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। उक्त नामान्तरकरण में खसरा नम्बर में 114 में तरमीम की जानी है, जो पटवारी की एसएसओ–आईडी से संभव नहीं है। उक्त प्रकरण में नामान्तरकरण सॉफ्टवेयर में संसोधन के बाद या कोर्ट के आदेश द्वारा ही खोला जा सकता है।

स्पष्टतया तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थी के हक को स्वीकार किया गया है तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

* न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अफसर	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में कोर्ट आदेश से उक्त तरमीम किया जाना तथा नामान्तरकरण दर्ज किया जाना संभव है। उक्त परिस्थितियों में वाद का एकमात्र निर्धारक बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है। तथा आदेश दिए जाते हैं कि विकयपत्र दिनांक 19.06.2023 द्वारा विकेता अनिता कुमार वगै0 द्वारा केता शुभम इन्फ्राटेक पंजीकृत कार्यालय चौधरी होटल परिसर एरोड्रम सर्किल कोटा को विकय की गई खसरा नं0 113, 114 के निर्धारित भू–भाग की भूमि को केता शुभम इन्फ्राटेक पंजीकृत कार्यालय चौधरी होटल परिसर एरोड्रम सर्किल कोटा के खाते दर्ज किया जावे तथा विकय अनुसार खसरा नंबरान में आवश्यक तरमीम की जावे। निर्णय भी प्रति पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा	